20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(6)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

द्वितीय अपील क्र0- /2018

अपील - 6079/2018/जबलपुर/अ-१४

अपीलार्थीगण : 1 कैलाश कुमार खरे उम्र-72 वर्ष, आत्मज स्व. सदाशंकर खरे,

2 अशोक कुमार खरे उम्र-68, वर्ष ,आत्मज स्व. सदाशंकर खरे,

3 आनंद कुमार खरे उम्र-65, वर्ष आत्मज स्व. सदाशंकर खरे,

4 श्रीमति कनकलता खरे,उम्र-60 वर्ष पत्नि स्व. अजीत कुमार खरे,

5 सफल खरे, उम्र-38 वर्ष, आत्मज स्व. अजीत कुमार खरे,

6 प्रबल खरे, उम्र-35 वर्ष, आत्मज स्व. अजीत कुमार खरे,

7 धवल खरे उम्र- 34 वर्ष, आत्मज स्व. अजीत कुमार खरे,

सभी निवासी-- ग्राम-अमखेरा, तहसील पनागर, जिला-जबलपुर (म.प्र)

दिनांक 12-10-18 को श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

12-10-18

पेशी 17-10-18 SO

प्रस्तुत (एस. के. कुलश्रेष्ठ) 12/10/18

कार्यालय महाधिवक्ता ... 401 ... 01.10.97 ... 12/10/18

विरूद्ध

उत्तरार्थी : म.प्र. शासन

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा-44(2) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

11 OCT 2018

अपीलार्थीगण अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा अपील कमांक 1381/अपील/2017-18 पक्षकार कैलाश कुमार खरे विरूद्ध म0प्र0शासन में पारित आदेश दिनांक 18/09/2018 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय राजस्व मंडल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहे है, उक्त आदेश इस प्रकरण में आगे आलोच्य आदेश कहकर संबोधित किया जायेगा। जिसकी प्रमाणित प्रति ***प्रदर्श पी/1*** के रूप में संलग्न है।

NOTARY ... SHARMA ... JABALPUR (M.P.)

अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से न्यायहित में निम्न निवेदन करते हैः-

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थीगण स्व0सदाशंकर खरे पिता कालीचरण, निवासी-ग्राम-अमखेरा, तहसील पनागर व जिला-जबलपुर के वैधानिक वारसान हैं। स्व0सदाशंकर खरे की प्रकरण के दौरान मृत्यु हो चुकी हैं। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम-अमखेरा, नं.बं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक : अपील–जबलपुर / भू.रा. / 2018 / 6079

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
3/1/19	उभय पक्ष को पूर्व पेशी पर बहस में सुना जा चुका है। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 1381 / 17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–9–2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को, लेखी बहस के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा याचिका कमांक 4962 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 23–9–2005 में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर ने प्रकरण कमांक 113 बी–121 / 2017–18 में पारित आदेश दिनॉक 18–5–18 से आवेदक के स्वामित्व की नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अतिशेष घोषित की गई भूमि) के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर का प्रकरण कमांक 113 बी–121 / 2017–18 में पारित आदेश दिनॉक 18–5–18 नगर भूमि सीमा अधि. के अंतर्गत है इस आदेश की अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष हुई है एंव अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 1381 / 17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–9–2018 से अपील खारिज की है। विचार योग्य है कि सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. व्दारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश एंव उसके विरूद्व इसी अधिनियम के अंतर्गत अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील	

पोषणीय है ? नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 (1) एंव (3) इस प्रकार है :–

धारा – 33 अपील –

(1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी व्दारा किये गये आदेश से , जो धारा 11 के अधीन या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश से तीस दिन के भीतर जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाय। (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) :

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

उपधारा 2 में बताया गया है कि अपील प्राप्त होने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसका यथासंभव शीघ्रता से उस पर आदेश करना होता है जो वह ठीक समझे व उपधारा 3 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा अर्थात उसके विरूद्व कोई अपील/रिवीजन नहीं लगेगी।

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 18–9–18 के विरूद्व प्रस्तुत द्वित्तीय अपील प्रचलन–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य